बिहार शिक्षा परियोजना परिषद,
बेलट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर,
पटना–800023

Bihar Education Project Council,
Beltron Bhawan, Shastri Nagar,
Patna - 800 023

पत्रांक MIS /

दिनांक .... / 09 / 2007

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक
-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले ।

विषय :- **<u>Outsourcing के तहत बूट (BOOT) मॉडल के आधार पर स्वयंसेवी संस्था अथवा निजी सहभागिता से कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (Computer Aided Learning) के संचालन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका प्रेषित करने के संबंध में ।</u>**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि दिनांक-24.08.2007 को सम्पन्न राज्य स्तरीय MIS की बैठक में हुए चर्चा एवं विगत दो वर्षो के कार्यानुभवों के आधार पर नवाचारि शिक्षा के अन्तर्गत आउटसोर्शिंग के तहत BOOT MODEL के आधार पर कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के लिए पूर्व में प्रेषित मार्गदर्शिका (पत्रांक-2366, दिनांक-15.09.2005) में कतिपय संशोधन किया गया है । विदित हो कि सभी जिलों द्वारा वर्ष 2007-08 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (Computer Aided Learning) हेतु समुचित राशि का प्रावधान किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा को त्वरित गति प्रदान करने हेतु संशोधित मार्गदर्शिका (आठ पृष्ठों में संलग्न) के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय । यह मार्गदर्शिका तत्काल प्रभाव से लागू समझी जाए ।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(अंजनी कुमार सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

अनुलग्नक : संशोधित मार्गदर्शिका 8 (आठ) पृष्ठों में ।

ज्ञापांक : एम.आई.एस./ 4499 दिनांक : 20-9-07

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, सर्व शिक्षा अभियान, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/9/07

(अंजनी कुमार सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

☎:0612-2280699/2285793, fax: 0612-2281005, Email: dpepbihar@hotmail.com, Website www.bsppssa.org

Outsourcing के तहत बूट (BOOT) मॉडल के आधार पर स्वयंसेवी संस्था अथवा निजी सहभागिता से कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (Computer Aided Learning) के संचालन हेतु मार्गदर्शिका

सीखने-सिखाने की प्रक्रिया जितनी रोचक, आनंददायी तथा उत्सुकता बढ़ानेवाली होती हैं, सीखना उतनी ही तेजी से संभव होता है। शिक्षकों द्वारा संचालित सीखने-सिखाने की प्रक्रिया तभी गुणात्मक होती है, जब वे स्वयं प्रेरित होकर उसके साथ जुड़ें। रूचि और प्रेरणा मूलतः सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सीखने की प्रक्रिया पारस्परिक होने पर व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है और परिणाम अच्छे मिलते है। सीखने की प्रक्रिया को पारस्परिक बनाने के लिए कम्प्यूटर बहुत ही अच्छा साधन है। कम्प्यूटर के माध्यम से व्यक्ति स्वयं बहुत कुछ सीख सकता है। कम्प्यूटर -आधारित शिक्षा की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि वह मनुष्य को जिज्ञासा, सोच और विश्लेषण की शक्तियों के विकास के अनेक क्षेत्र उपलब्ध कराती है।

उद्देश्य

- शिक्षकों और बच्चों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे स्वयं कम्प्यूटर का उपयोग करते हुए ज्ञान का संवर्द्धन कर सकें ।
- कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण को रूचिकर, प्रभावी और पारस्परिक बनाना।
- जिस संकुल मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर स्थापित है, उस विद्यालय के कक्षा ६ से ८ तक के सभी बच्चों द्वारा कम्प्यूटर का उपयोग कराना।

कम्प्यूटर आधारित शिक्षा की वर्तमान स्थिति

विगत चार वर्षो में नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षा पर प्रति वर्ष प्रति जिले १५ लाख रूपये का प्रावधान किया गया था। इस कम्प्यूटर शिक्षा के संचालन हेतु एक मार्गदर्शिका भी प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराया गया है परंतु जिलों के द्वारा विगत चार वर्षों के कार्य को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कम्प्यूटर शिक्षा के कार्यान्वयन में जिलों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ कठिनाईयों को निम्नवत् चिन्हित् किया गया है ।

- कम्प्यूटर स्थापित करने हेतु संकुल मध्य विद्यालय का चयन।
- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्रय करने में विलम्ब होना।
- आधारभूत संरचना की कमी (शिक्षक, सुरक्षित भवन एवं बिजली आपूर्ति इत्यादि)।

- कमजोर संस्थागत सहायता(एस.सी.ई.आर.टी.)।
- पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं संबंधित सामग्रियों की अनुपलब्धता।
- संपूर्ण प्रक्रिया का समेकित क्रियान्वयन न होना।
- नये विचारों का अभाव एवं उत्साह में कमी।

उपर्युक्त कठिनाईयों के बावजूद कई जिलों द्वारा इस योजना हेतु कम्प्यूटर क्रय के उपरांत इसका अधिष्ठापन भी किया गया है लेकिन सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण इस कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। परन्तु लगभग ५० प्रतिशत जिले ऐसे भी हैं जहाँ विगत वर्षों में कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं इससे संबंधित सामग्री/उपकरण का क्रय भी नहीं हो पाया है।

बूट (BOOT) मॉडल की पृष्ठभूमि

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विगत वर्षों के अनुभवों के आलोक में वित्तीय वर्ष २००५-०६ की वार्षिक कार्य योजना एव बजट के अन्तर्गत सभी जिलों में आउटसोर्सिंग(Outsourcing) के तहत स्वयंसेवी संस्था/निजी सहभागिता के माध्यम से **पायलट प्रयोग** के तौर पर कम्प्यूटर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य हो कि यह व्यवस्था वर्ष २००७-०८ में भी लागू है। यह कार्यक्रम BOOT **(B- Build, O- Own, O- Operate, T- Transfer)** मॉडल पर आधारित है जिसके तहत जिला स्तर पर चयनित स्वयं सेवी संस्था/शैक्षणिक संस्थान अथवा निजी सहभागिता द्वारा चयनित संकुल विद्यालय में कम्प्यूटर एवं इससे संबंधित अन्य उपकरण तथा कम्प्यूटर शिक्षक/कर्मी उपलब्ध कराया जाता रहा है। साथ ही संस्था द्वारा विद्यालय के शिक्षकों एवं शिशिक्षुओं (६ से ८ वर्ग) को कम्प्यूटर आधारित शिक्षा हेतु दक्ष बनाया जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक निश्चित अवधि (अधिकतम तीन वर्ष) के उपरांत शिक्षकों/शिशिक्षुओं की इस क्षेत्र में जिज्ञासा, सोच एवं विश्लेषण की क्षमता विकसित करने के उपरान्त एजेन्सी द्वारा इस शिक्षा हेतु विद्यालय में अधिष्ठापित सभी सामग्रियाँ को विद्यालय/विद्यालय शिक्षा समिति को सौंप देने की व्यवस्था है।

बूट (BOOT) मॉडल का क्रियान्वयन

संकुल मध्य विद्यालय का चयन

- इसके तहत जिले के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में स्वीकृत योजना के अनुरूप संकुल मध्य विद्यालयों का चयन किया जाएगा। ऐसे मध्य विद्यालयों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ वर्ग ६ से ८ में १०० या इससे ज्यादा शिशिक्षु नामांकित हो तथा कम्प्यूटर आधारित शिक्षा हेतु कम्प्यूटर लैब अधिष्ठापित करने

के लिए समुचित व्यवस्था (एक सुरक्षित वर्गकक्ष कम-से-कम २२५ वर्ग फीट क्षेत्रफल का, यथा संभव पर्याप्त और सुविधाजनक तरीके की बिजली/सौरउर्जा की उपलब्धता) हो। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रेषित मार्गदर्शिका के आलोक में भी संकुल मध्य विद्यालय को चयन किया जा सकता है।

सुयोग्य संस्था के चयन का आधार

- संस्था पंजीकृत हो एवं सभी प्रकार के वैधानिक मापदण्डों को पूरा करता हो।
- संस्था को कम्प्यूटर आधारित शिक्षा/कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का पर्याप्त अनुभव (कम से कम एक वर्ष) हो।
- संस्था के पास पर्याप्त संसाधन यथा- कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अनुभवी कम्प्यूटर शिक्षक/कर्मी उपलब्ध हों।
- संस्था काली सूची में दर्ज न हो।

चयन की प्रक्रिया

- एजेंसी के चयन एवं क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शित रखने हेतु सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रेषित वित्तीय प्रबंधन एवं क्रय मार्गदर्शिका (**Manual on Financal Management and Procurement**) जिसमें खुली निविदा की प्रक्रिया को अपनाये जाने का उल्लेख है, के आधार पर चयन किया जा सकता है। अतः ऐसे में विज्ञापन द्वारा एन.जी.ओ./प्राईवेट एजेंसी से तकनीकी एवं वित्तीय दोनो प्रकार के निविदा प्रस्ताव मांग कर उचित मूल्यांकन करते हुए योग्य निविदाकर्त्ता को कार्य आवंटित किया जाएगा।

एजेन्सी द्वारा दी जानेवाली उपकरण/सुविधाएँ

- स्वतंत्र एजेन्सी/स्वयंसेवी संगठन द्वारा प्रत्येक चयनित संकुल विद्यालय में विश्वसनीय ब्राण्ड के नये कम्प्यूटर हार्डवेयर (कम्प्यूटर-३(P4/Athlon or latest with genuine Operating System), प्रिन्टर-१ (Dotmatrix), यू.पी.एस.-३(750 VA), सी.भी.टी.-१ (2 KVA), नया जेनेरेटर (2 KVA, ISI standard), नये फर्नीचर एवं सॉफ्टवेयर की सुविधा के साथ मल्टीमीडिया (e-TLM), जनरेटर संचालन एवं इसके रख-रखाव, अधिष्ठापित संयत्रों की विस्तृत बीमा, प्रशिक्षित शिक्षक एवं रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जायेगी तथा चयनित संस्था द्वारा अधिकतम तीन वर्षों तक (संतोषप्रद सेवा होने पर) सतत रूप से कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान की जायेगी। ***(विस्तृत विवरण एवं इकाई लागत अनुलग्नक-'क' पर संलग्न है।)***

बिहार शिक्षा परियोजना ... पटना 23

सेवा प्रदाता

- स्वतंत्र एजेन्सी प्रत्येक विद्यालय(केन्द्र) में एक तकनीकी शिक्षक की नियुक्ति करेगा जो पाठ्यक्रम/e-TLM से पूर्व परिचित होगा तथा कम्प्यूटर लैब को चलाने में दक्ष होगा। तकनीकी शिक्षक की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ एक वर्ष का डिप्लोमा इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग एण्ड एप्लीकेशन होगा। तकनीकी शिक्षक का मानदेय एवं अन्य सभी प्रकार के वैधानिक दायित्व के निर्वहन पर होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित एजेन्सी द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी एवं उनके संतोषप्रद सेवा के प्रमाणन के उपरांत **A/C Payee Cheque** के माध्यम से हीं की जायेगी।

- राज्य क्रियान्वयन सोसायटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण अधिगम सामग्री के आधार पर ही स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर आधारित शिक्षा दी जायेगी। अगर एजेन्सी द्वारा इलेक्ट्रानीक शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था की जाती है तो इसकी स्वीकृति जिला/राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा पूर्व में हीं प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

- एजेन्सी द्वारा वर्ग ६ से ८ के बच्चों के बीच कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित कर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु हैण्डआउट/कन्टेन्ट/पूरक शिक्षण अधिगम सामग्री एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री जो राज्य के वर्ग ६ से ८ के पाठ्यक्रम के अनुरूप हीं विकसित की जायेगी जिसे जिला/राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त उपयोग में लाया जा सकेगा।

- एजेन्सी द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति/प्रधानाध्यापक के सहमति से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में एवं समाप्ति के उपरांत वर्ग ६ से ८ के बच्चों द्वारा प्राप्त कौशल के स्तर का आकलन किया जाएगा तत्पश्चात् प्रगति प्रतिवेदन जिला स्तरीय कार्यालय को प्रस्तुत कराया जायेगा, जिसके आधार पर जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा आवश्यक कारवाई की जाएगी।

- एजेन्सी द्वारा यथा संभव इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा शिक्षकों/बच्चों को इससे अवगत कराया जायेगा।

- कम्प्यूटर केन्द्र को चलाने हेतु परिचालन लागत **(Operating Cost)** का व्यय संबंधित एजेन्सी द्वारा ही वहन किया जायेगा जिसमें कम्प्यूटर एवं इसके उपकरणों का बीमा, कम्प्यूटर हार्डवेयर का रखरखाव तथा जेनेरेटर इत्यादि की सुविधा का प्रबंध भी शामिल है।

- विद्यालय प्रधान द्वारा विद्यालय अवधि के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति/आवश्यकतानुसार एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर शिक्षक से अतिरिक्त समय की मांग करने पर संबंधित शिक्षक द्वारा अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

<u>वित्तीय प्रबंध</u>

- अनुलग्नक 'क' के अंश **A** में अंकित **Fixed Cost** का भुगतान संतोषप्रद प्रतिष्ठापन के उपरांत (संबंधित अभिश्रव की छायाप्रति संस्था द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा) संबंधित एजेन्सी को रेखांकित चेक/ड्राफ्ट द्वारा की जायेगी। भुगतान से पूर्व देख लें/आश्वश्त हों लें कि विद्यालयों में प्रतिष्ठापित कम्प्यूटर एवं इसके सहायक उपकरण की विशिष्टियाँ विज्ञापन/निविदा/मार्गदर्शिका में प्रकाशित मानक के अनुरूप हैं। इसके अन्तर्गत अधिष्ठापित कम्प्यूटर एवं उपस्करों की जाँच तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा करा लेना आवश्यक होगा।

- अनुलग्नक 'क' के अंश **B** के तहत प्रावधानित आवर्त्ती लागत **(Recurring Cost)** का भुगतान संतोषजनक सेवा के उपरांत एजेन्सी को अनुबंध के अनुरूप (यथा-त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक) रेखांकित चेक/ड्राफ्ट् के माध्यम से किया जायेगा। आवर्त्ती लागत के भुगतान में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा :-

  (क) आवर्त्ती व्यय (अनुलग्नक 'क' में अंकित अधिकतम अनुमानित सीमा) यथा- डीजल खर्च, शिक्षक वेतन भुगतान, बीमा प्रीमीयम, रात्रि प्रहरी का खर्च, आकस्मिक व्यय एवं एजेंसी को औपरेटिंग एवं सर्विस चार्जेज के रूप में दिये जाने वाले व्यय का भुगतान संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति एवं प्रधानाध्यापक के प्रमाण के आधार पर किया जाएगा।

  (ख) आवर्त्ती व्यय का भुगतान क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर करना आवश्यक होगा।

  (ग) वास्तविक व्यय की राशि निर्धारित इकाई लागत से कम भी हो सकती है। अतः आवर्त्ती (**संस्था को ऑपरेटिंग एवं सेवा शुल्क सहित**) एवं अनावर्त्ती सभी तरह के व्यय के लिए एजेंसी द्वारा दर मांगा जाएगा, जो क्रय समिति के अनुशंसा एवं जिला कार्यकारिणी के अनुमोदन के उपरान्त हीं मान्य समझा जाएगा।

  (घ) भुगतान की प्रकिया को और बेहतर एवं पारदर्शी बनाने हेतु जिला अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकता है जिसे अनुबंध में अंकित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

  (च) आवर्त्ती व्यय (**अनुलग्नक 'क'**) में वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में निर्धारित युनिट कॉस्ट के आधार पर प्रतिवर्ष संशोधित किया जा सकेगा।

कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों की सुरक्षा एवं देखभाल

- चयनित विद्यालय में स्थापित कम्प्यूटर एवं उसके सहायक उपकरण के सुरक्षा एवं देखभाल की सामूहिक जवाबदेही संबंधित एजेन्सी एवं विद्यालय शिक्षा समिति/प्रधान शिक्षक/शिक्षक की होगी जिससे कम्प्यूटर एवं उसके सहायक उपकरण सुरक्षित एवं उपयोग के योग्य बने रहें। विद्यालय प्रधान द्वारा माँगे जाने पर संचालन एजेन्सी एक ***रात्रि प्रहरी*** उपलब्ध करायेगी।

- एकरारनामा के अवधि में सभी कम्प्यूटर एवं उसके सहायक उपकरण (Peripherals) के रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित एजेन्सी की होगी। साथ ही एजेन्सी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कम्प्यूटर एवं उसके सहायक उपकरण लगातार उपयोग के योग्य बने रहें।

समयावधि

- प्रारंभ में एजेन्सी से तीन साल अथवा योजना की समाप्ति (दोनों में से जो कम हो) का अनुबंध (जिसमें राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश में सन्नहित बिन्दुओं का भी जिक्र हो) किया जा सकता है। अंकनीय है कि प्रति वर्ष एजेन्सी के कार्यों का विवेचनोपरांत संतोषप्रद सेवा पाये जाने पर ही आगे के वर्षों के लिए सेवा-विस्तार दिया जा सकेगा।

- अनुबंध अवधि (तीन वर्ष) के बीच संतोषप्रद सेवा नहीं पाये जाने की स्थिति में एजेन्सी को एक माह का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। अनुबंध समाप्ति के उपरान्त पुनः निविदा प्राप्त कर BOOT मॉडल के अन्तर्गत किसी अन्य एजेन्सी/संस्था/विद्यालय शिक्षा समिति को कार्य दिया जा सकता है।

अनुश्रवण

विद्यालय में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नांकित संस्था/पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण करने की व्यवस्था होगा :-

- विद्यालय शिक्षा समिति।

- समन्वयक, संकुल संसाधन केन्द्र/साधनसेवी, प्रखंड संसाधन केन्द्र/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-समन्वयक, प्रखंड संसाधन केन्द्र।

- जिला स्तरीय कार्यालय के कर्मी/जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला शिक्षा अधीक्षक/डायट के प्राचार्य/व्याख्याता।

- प्रत्येक माह में एक बार जिला स्तर पर एजेन्सी द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर शिक्षक की बैठक एम.आई.एस. एवं ई.एफ.ई. प्रभागों से जुड़े जिला स्तरीय कर्मी के साथ होगी।

<u>**मूल्यांकन**</u>

- चयनित संकुल मध्य विद्यालय के वर्ग ६ से ८ तक के प्रत्येक बच्चों के कौशल का मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रारंभ में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा हेतु की जायेगी। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति एवं एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के उपरांत प्रत्येक बच्चों का अद्यतन मूल्यांकन किया जायेगा जिससे ज्ञात हो सके कि शिक्षा की गुणवत्ता में कितनी उपलब्धि हुई है। यह मूल्यांकन यथा संभव जिला स्तर पर विकसित मापदंड/मानक के आधार पर किया जायेगा जिसमें राज्य स्तर द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

- एजेन्सी की सेवा अवधि का विस्तार जिला स्तर पर विकसित मानक/मापदंड के संतोषजनक परिणाम के फलस्वरूप हीं किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर इस संबंध में राज्य द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त योजना मात्र उदाहरणस्वरूप (Illustrative) है। नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर आधारित शिक्षा को स्वयं सेवी संस्था अथवा निजी सहभागिता के सहयोग से संचालित करने का प्रस्ताव राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति की दिनांक ०७.०४.२००५ को सम्पन्न ५३वीं बैठक मे अनुमोदित किया गया है। जिले अपने विवेक एवं जिला-विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी नवाचारी सोच के अनुसार इस प्रकार की और योजना बना सकते हैं, जिन्हें जिला कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के बाद राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति लेकर क्रियान्वित किया जा सकता है।